

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—अधिसूचना:—

संचिका संख्या :—6 / अ०—०३—०६ / २०२४

पटना, दिनांक—

श्री सतीश कुमार, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वें बैच), बिहारशरीफ अंचल, बिहारशरीफ को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक—दिनांक—०५.०९.२०२४ से ०८.०९.२०२४ तक कुल ०४ (चार) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित श्री कुमार के पक्ष में देय उपार्जित अवकाश आदेयता में से उक्त अवकाश को घटाने के उपरान्त (139—०४=१३५) (एक सौ पैंतीस) दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


ह० /—

(ज्योति प्रकाश)
सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:—6 / अ०—०३—०६ / २०२४ | ७०८

पटना, दिनांक— १६/४/२५

प्रतिलिपि:—प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना—८०००१५ / कोशागार पदाधिकारी, जिला कोशागार, नालन्दा / राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), बिहारशरीफ अंचल, बिहारशरीफ / राज्य-कर संयुक्त आयुक्त—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना / राज्य-कर उपायुक्त—राह—नोडल पदाधिकारी, ५८०आर०एम०एस०, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना / आई०टी० मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री सतीश कुमार, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वें बैच), बिहारशरीफ अंचल, बिहारशरीफ को सूचनार्थ प्रेशित।


सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।